न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं०–05, गाजियाबाद।

दाण्डिक निगरानी संख्या–483/2024

दीपक **बनाम** उ० प्र० सरकार आदि

दि० 07–10–2024

पत्रावली पेश हुयी। पुकार पर निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

विपक्षी सं०–01 उ० प्र० सरकार की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) उपस्थित है।

विपक्षी संख्या 02 ता 06 की ओर से कोई उपस्थित नही है।

निगरानीकर्ता की ओर से प्रार्थना पत्र 10 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त निगरानी माननीय न्यायालय मे विचाराधीन है परन्तु उक्त निगरानी मे टाईपिंग त्रुटि के कारण हरेन्द्र कुमार पुत्र नत्थु सिह निवासी ई–331, गली नं०–2, प्रलहाद गढी एनीमल अस्पताल, सैक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद मो० नं०–9268250258 को प्रतिवादी संख्या–7 के रूप मे पक्षकार बनाये जाने से रह गया है। ऐसी स्थिति मे हरेन्द्र कुमार पुत्र नत्थू सिह को पक्षकार बनाया जाना अति आवश्यक है। आग्रह किया गया है कि उपरोक्त निगरानी मे प्रतिवादी संख्या–7 के रूप मे हरेन्द्र कुमार पुत्र नत्थु सिह निवासी ई–331, गली नं०–2, प्रलहाद गढी एनीमल अस्पताल, सैक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद मो० नं०–9268250258 को पक्षकार बनाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। प्रा० पत्र के समर्थन मे निगरानीकर्ता दीपक का शपथ पत्र 11ख दाखिल किया गया है।

प्रा० पत्र के विरूद्ध विपक्षीगण की ओर से कोई आपत्ति दाखिल नही की गयी है। मात्र विपक्षी संख्या–1 सरकारी की ओर से विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा मौखिक आपत्ति की गयी है।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी संख्या–01 राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौज०) को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि निगरानी के शीर्षक मे निगरानीकर्ता की ओर से 06 विपक्षीगण बनाये गये हैं। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित है कि पत्रावली के साथ विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या–04, गाजियाबाद के न्यायालय मे दायर प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) परिवाद पत्र की छाया प्रति संलग्न है जिसमे क्रम संख्या–02 पर हरेन्द्र पुत्र नत्थु सिह निवासी ग्राम प्रहलादगढी एनीमल अस्पताल सैक्टर–16, वसुन्धरा, गाजियाबाद का नाम विपक्षी के रूप मे अंकित है। निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रा० पत्र 10 ख मे यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि टाईपिंग त्रुटि के कारण हरेन्द्र कुमार पुत्र नत्थु सिह पक्षकार बनने से रह गया है। उक्त त्रुटि एक टाईपिंग त्रुटि है तथा उक्त मामले मे हरेन्द्र पुत्र नत्थु सिह एक आवश्यक पक्षकार है। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी के शीर्षक मे मात्र प्रतिवादी संख्या–7 के रूप मे हरेन्द्र पुत्र नत्थु सिह को पक्षकार बनाये जाने की याचना की गयी है। ऐसी स्थिति मे प्रा० पत्र के स्वीकार होने से निगरानी की प्रकृति मे कोई परिवर्तन नही हो रहा है। अतः न्याय हित मे निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत सशोधन प्रा० पत्र 10 ख स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या–10ख स्वीकार किया जाता हैं। निगरानीकर्ता को आदेशित किया जाता है कि निगरानी मे वाछिंत संशोधन अविलम्ब किया जाए। बाद संशोधन निगरानीकर्ता, विपक्षी संख्या 2 ता 7 पर नोटिस हेतु पैरवी अन्दर 05 दिन करें।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 30–10–2024 को पेश हो।

(अरविन्द मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं०–05,गाजियाबाद।